

मानव विकास एवं पर्यावरण संवर्धन

श्रीमति विनोद कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर
गॉधी इन्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एण्डटैक्नीकल स्टडीज,
मेरठ, उत्तर प्रदेश भारत।

सतत् या पोषणीय विकास का प्रमुख आधार मानव विकास है। वर्तमान समय में सतत् विकास का सम्बन्ध मानव के पर्यावरणीय संरक्षण, आर्थिक शिक्षण एवं राजनीतिक विकास से है। इसमें मानव की उन नीतियों एवं व्यवस्थाओं का वर्णन किया जाता है जिसमें मानव का सन्तुलित विकास सम्भव हो सके। आज के दौर में बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ एवं बांध बनाये जा रहे हैं। ताप विद्युत एवं अणु विद्युत ग्रह स्थापित किये जा रहे हैं जिनमें धातक गैसें निष्काशित होती हैं और पर्यावरण प्रदूषित होता है। इस समस्या का एक ही समाधान है—वह है पारिमित तकनीकी का विकास करना अर्थात् सतत् विकास करना। यह एक ऐसी तकनीक है जो प्रदूषण रोधी तथा पर्यावरण को क्षति न पहुँचाने वाली है। इस प्रकार हम सतत् विकास के द्वारा पर्यावरण को क्षति पहुँचायें बिना अपनी विकास प्रक्रिया को अबाध गति से चला सकते हैं।

मुख्य शब्द :- पर्यावरण, संरक्षण, धरोहर, अतिउपभोग

1968 में जीव विज्ञान शास्त्री पॉल इहरलिच ने अपनी पुस्तक 'पॉपुलेशन बम' प्रकाशित की। जिसमें उन्होंने मानव जनसंख्या संसाधन दोहन तथा पर्यावरण के बीच संबंधों का उल्लेख किया है। 1969 में गैर-सरकारी संस्था फ्रेण्ड्स ऑफ दी अर्थ बनाई जिसे पर्यावरण की रक्षा में नागरिकों का सहयोग लेने हेतु सशक्त बनाने के लिए समर्पित किया गया। 1971 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने "प्रदूषक खर्चा दे" सिद्धान्त बनाया जिसमें यह कहा गया कि प्रदूषण फैलाने वाले देशों को उसकी कीमत देनी चाहिए। 1972 में मेसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी से युवा वैज्ञानिकों ने एक समूह बनाया जिसे "कलब ऑफ रोम" के नाम से जाना गया। इस कलब ने अपनी रिपोर्ट 'लिमिट्स टू ग्रोथ' प्रकाशित की जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट ने वर्तमान विकास दर को धीमा न करने पर गंभीर परिणामों के बारे में जनसमुदाय को चेताया तथा सतत् विकास को अपनाने पर बल दिया जिसने वर्तमान पीढ़ी की अवश्यकताओं को इस प्रकार पूर्ण किया जाए जिससे भविष्य का हित भी क्षतिग्रस्त न हो। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरिया में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किया गया जिसमें बढ़ते औद्योगिकी विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध

दोहन के कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है जिसके कारण सम्पूर्ण पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है। यही स्थिति बनी रही तो इसके गम्भीर परिणाम हो सकते हैं जिससे पृथ्वी पर प्राणियों और वनस्पतियों का रहना कठिन होगा। यह सम्मेलन सन् 1992 में आयोजित किया गया। इसके पश्चात् सन् 2002 में दक्षिण अफ्रीका को बाहर जोहन्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कर पर्यावरण संरक्षण एवं सतत् विकास की ओर संसार का ध्यान आकर्षित किया गया।

सतत् विकास संसाधनों का उपयोग करने का एक आदर्श मॉडल है जो यह बताता है कि आर्थिक विकास के साथ—साथ पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है। इसका उद्देश्य है वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखते हुए इस प्रकार प्रयोग करना ताकि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो।

सन् 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 तक गरीबी और भूख को समाप्त करने लिंग समानता को सुनिश्चित करने के लिए "सहस्राब्दि विकास लक्ष्य" रखा गया। इसके स्थान पर अब 'सतत विकास लक्ष्य' या "एजेंडा 2030" 4 अगस्त 2015 को स्वीकार किया गया। जिसमें मानव, ग्रह शान्ति, सम्पन्नता एवं सहभागिता इत्यादि को

सम्मिलित किया गया। सतत् विकास अवधारणा आर्थिक विकास की दौड़ के प्रति विश्व को सचेत करता है ताकि विकास तो हो परन्तु प्राकृतिक संसाधनों की सम्राजित अथवा पर्यावरण को क्षति पहुँचाये बिना परिस्थितिकी व्यवस्थाओं की सहनशीलता क्षमताओं के अनुरूप मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, ऐसी आर्थिक उन्नति करना जो पृथ्वी के सीमित संसाधनों को नष्ट किए बिना विश्व के सभी लोगों को न्याय तथा समान अवसर प्रदान किये जायें।

सतत् विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म, भाषा तथा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य शोषणकारी मानसिकता की जंजीरों से अर्थ व्यवस्था को मुक्ति हेतु ऐसा अधिकार पत्र है जिन्होंने राष्ट्रों की जैव संपदा को नष्ट होने से बचाया है। संक्षेप में ये उद्देश्य निम्न हैं:-

पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना, ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज हो जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करें, विविधता की रक्षा करना तथा विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, शासन की संस्थाओं का विकेन्द्रीकरण करना और उन्हें अधिक लचीला पारदर्शी तथा जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की योजना बनाना जो निर्धन देशों की आवश्यकताओं को समझकर बिना उनके पर्यावरण को नष्ट पहुँचायें, उनके विकास में मदद करें, अधिकांश लोगों के जीवन स्तर को समानता तथा न्याय के अनुरूप बनाना, विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ाना क्योंकि केवल शांति ही मानवता के व्यापक हितों की रक्षा सुनिश्चित करती है।

सतत् विकास एक मूल्य आधारित अवधारणा है, जो परस्पर सह-अस्तित्व तथा सभी के लिए सम्मान जैसे आदर्शों की मांग करता है। यह एक निरन्तर विकास प्रक्रिया है जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा पर्यावरणीय घटकों में सामंजस्य पर आधारित है।

रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों से फसल का उत्पादन बढ़ता है। परन्तु धरती की सहन क्षमता से अधिक इनका प्रयोग करने पर फसलों का नाश हो जाता है। पृथ्वी की सहन क्षमता को एक प्रकार की फसल बोनें, प्रदूषण अधिक जनसंख्या, वन विनाश तथा शहरीकरण से भी खतरा है। वर्तमान उपभोक्तावादी विश्व ने एक गैर-पोषणकारी जीवन शैली को जन्म दिया है।

व्यक्ति तथा राष्ट्र कोई भी प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर चिंतित नहीं है। अतः हमारी भविष्य की पीढ़ियों के पास एक अधिक प्रदूषित तथा गरीब विश्व होगा। अन्तर्पीढ़ीय समानता का अर्थ है कि हमारी नीतियों को वर्तमान आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता देनी होगी।

सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता

सतत् विकास का एक और महत्वपूर्ण आदर्श है। विश्व की सामाजिक व सांस्कृतिक का अनुमान इस तथ्य से लागाया जा सकता है कि 160 देशों में लगभग 820 जातीय समूह हैं। लगभग चार प्रतिशत जनजाति उन क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहाँ पर वनस्पति तथा जीव-जंतुओं की अत्यधिक विभिन्नता है। स्थानीय संसाधनों के उपयोग में वहाँ के समुदाय स्थानीय मूल्यों का संरक्षक होता है क्योंकि उसे स्थानीय संसाधनों के जीवन चक्र व मूल्य का अच्छा ज्ञान होता है। एक बार उन्हें विस्थापित कर देने पर बाहरी लोग आ जाते हैं जो बड़ी क्रूरता से पृथ्वी के मूल्यवान व सीमित संसाधनों का दोहन तथा अति-उपभोग करते हैं। स्थानीय लोगों के परम्परागत अधिकारों की सुरक्षा से जैव विविधता तथा स्थानीय संस्कृति की सुरक्षा होती है, जो अंततः पर्यावरण सुरक्षा प्रदान करता है। भारत के हिमालय क्षेत्र का चिपको आंदोलन इसका एक सुंदर उदाहरण है। अतः सतत् विकास नीतियों को इस प्रकार बनाने पर बल देता है जिसमें स्थानीय समुदाय की जीवन शैली, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं तथा संस्कृति की विविधता बची रहे क्योंकि स्थानीय लोग स्वयं प्राकृतिक संसाधनों के सबसे सशक्त संरक्षक हैं। संसाधनों के अंधा-धुंध उपभोग से प्राकृतिक पर्यावरण समाप्ति की ओर बढ़ता प्रतीत हो रहा है। जिससे मूलभूत वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, गरीबी बढ़ेंगी और युद्ध भी संभव हो सकता है। ऐसा होने से रोकने के लिए उपरोक्त सिद्धान्तों को लागू करना पड़ेगा जो सतत् विकास का आधार है। ये सिद्धांत धरती के संसाधनों का सभी लोगों के लिए दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित करते हैं।

1983 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नार्वे की प्रधानमंत्री ग्रो हारलम ब्रण्डटलैण्ड की अध्यक्षता में पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की स्थापना की। आयोग की रिपोर्ट 1987 में “अवर कॉमन प्यूचर” के नाम से प्रकाशित हुई। इसमें विकास को एक नई परिभाषा दी गई। अब विकास को पर्यावरण संरक्षक बनाने की बात कही गई इसलिए इसमें एक नये शब्द “सतत् विकास” का

नामकरण हुआ। इसका तात्पर्यहै कि हम ऐसा विकास करें जो आज की पीढ़ी की आवश्यकता के साथ-साथ आगे आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखें। इसमें इस बात पर भी जोर दिया गया कि विश्व के गरीब लोगों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही इसमें सीमितता का विचार भी दिया गया जिसका तात्पर्य था कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग एक सीमा तक ही किया जाना चाहिए ताकि उनसे वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सके। आयोग ने पर्यावरणीय तथा आर्थिक निर्णयों के एकीकरण पर भी जोर दिया।

जलवायु परिवर्तन पर रूपरेखा संबंधी अनुबंध

इस रूपरेखा में यह स्वीकार किया गया कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या है इसलिए रियो सम्मेलन में इस समझौते पर 162 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसके उद्देश्य एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा प्रदान करना था जिसके अंतर्गत ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करने के लिए भावी कदम उठाए जा सकें। 26 अनुच्छेदों वाला यह सन्धी पत्र जलवायु परिवर्तन के खतरे के विरुद्ध एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गया। इसमें इस तथ्य पर प्रकाश डाला गया कि मानवीय क्रियायें जैसें जीवाश्म ईंधन को जलाना आदि पृथ्वी के वायुमंडल में बड़ी मात्रा में गैसें छोड़ रहीं हैं। ये गैसें जिनमें कार्बन डाई-ऑक्साइड भी शामिल हैं, ग्रीन-हाउस प्रभाव में वृद्धि कर रही है। वातावरण में बढ़ती ये गैसें “ग्लोबल वार्मिंग” का कारण बन रहीं हैं। जो कि मनुश्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरा पैदा कर रहीं हैं। जलवायु परिवर्तन समझौते का मूल उद्देश्य पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों को एक स्तर पर स्थिर करना है। जिससे कि वे वैश्विक जलवायु को अत्यधिक नुकसान न पहुँचा सके इसलिए समझौते में कहा गया है कि औद्योगिक देशों को अपने कार्बन डाई-ऑक्साइड उत्सर्जन स्तर को सन् 2000 तक सन् 1990 स्तर पर ले जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन समझौता सभी राष्ट्रों को कुछ कार्यों के प्रति बचन बद्ध करता है जिनमें मुख्य हैं—

- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा की सूचना प्रदान करेंगे।
- ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने तथा जलवायु परिवर्तन के लिए अपनाये गये कार्यक्रमों की मुख्य जानकारी नियमित

रूप से प्रकाशित करेंगे। इस समझौते में ये प्रतिबद्धता सुनिश्चित की गई है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण भूमण्डलीय परिस्थितिकी को क्षति न पहुँचें।

रियो सम्मेलन में सतत् विकास की प्राप्ति के लिए भावी योजना के रूप में उल्लेखित किया गया है जिसमें विकास तथा पर्यावरण के मध्य सामंजस्य बनाने वाली नीति के रूप में कार्य किया। इसे कार्य सूची-21 के नाम से जाना जाता है। इसकी उद्देशिका में कहा गया है कि यह पर्यावरण एवं सतत् विकास से संबंधित समस्याओं से संबंधित चुनौतियों के लिए विश्व को तैयार करने के लिए कुछ प्रावधान सुनिश्चित करता है। ये निम्न हैं—

- पर्यावरण तथा विकास के मध्य सामंजस्य बनाने के लिए सतत् विकास पर राष्ट्रों के मध्य सहयोग विकसित करना।
- विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय नियमों तथा प्रावधानों को स्पष्ट करना।
- सतत् विकास की प्राप्ति के लिए विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- सतत् विकास के संबंध में सभी राष्ट्रों के सहयोग से विधि-निर्माण हेतु संघियाँ करना।
- सतत् विकास को राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ जोड़ना तथा गैर-सरकारी संगठनों तथा आम जनता को शामिल करना।
- सतत् विकास पर किसी समझौते में विश्व स्तर पर प्रयास विभिन्न राष्ट्रों की विशेष
- परिस्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए।

रियो सम्मेलन ने पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पर सारे विश्व का ध्यान आकर्षित किया। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधियों ने यह चिन्ता प्रकट की कि पृथ्वी तेजी से गर्म होती जा रही है और यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो सम्पूर्ण मानव जाति का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा। रियो पृथ्वी सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री पी० वी० नरसिंह राव ने कहा कि “पृथ्वी के संसाधनों में हाल के वर्षों में बहुत कमी आई है और संतुलन इतना गड़बड़ा गया है कि इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। अतः पर्यावरण के संरक्षण का दायित्व विकसित और विकासशील दोनों देशों का है।”

रियो सम्मेलन के केन्द्रीय मुद्दों में जलवायु-परिवर्तन, जैव विविधता तथा वन्य संरक्षण शामिल थे। किन्तु इस सम्मेलन में विकसित तथा विकासशील देशों के मध्य स्पष्टता मतभेद हुए। औद्योगिक देशों ने पिछले अनेक वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों का अपने हित में खूब दोहन किया है। विकासशील देशों की मांग है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए विकसित देश उन्हें तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान करे क्योंकि पर्यावरण की बिगड़ी हालत के लिए मुख्यतः वे ही जिम्मेदार हैं। रियो सम्मेलन की सफलता या असफलता के बारे में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहली बार संसार के इतने शीर्षस्थ नेताओं ने बिगड़ते हुए पर्यावरण एवं पृथ्वी के भविष्य के सवाल पर एक जगह एकत्र होकर चिंता प्रकट की। उनकी चिंता इस बात का संकेत है कि देर से ही सही पर इस दिशा में शुरुआत तो हुई।

सतत विकास के लिए नागरिक समाज के प्रयास सतत विकास की दिशा में सबसे प्रभावशाली उपायों की समझ उन समुदायों एवं लोगों को होती है जो इनसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण तथा सतत विकास के सम्बन्ध में नागरिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है पर्यावरण तथा विकास से सम्बन्धित मामलों में नागरिक समाज को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने की बात पहली बार 1992 में रियो की पृथ्वी शिखर वार्ता में स्वीकार की गयी। रियो शिखर वार्ता के बाद से विश्व की विकासीय नितियों से सम्बन्धित मामलों में, नागरिक समाज विशेषकर गैर सरकारी संगठनों की भूमिका में निरन्तर वृद्धि हुई है। 30 नवम्बर 1999 को विश्व व्यापार संगठन की हानिकारक नीतियों के विरुद्ध विश्व भर से आये हजारों लोगों ने सिएटल की सड़कों पर एकत्रित होकर इसके अधिवेशन की कार्यवाही को विफल कर दिया। भारत में लोगों के लगभग 300 प्रतिनिधियों ने विश्व विकास बैंक के अध्यक्ष को एक खुला पत्र सौंपा जिसमें विश्व बैंक के कार्यक्रम के अन्तर्गत जैव विविधता के संरक्षण के नाम पर मध्य प्रदेश के कई कबिलों को वनों से वंचित करने की कार्यवाही के प्रति रोष प्रकट किया गया। आज पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अनेक अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1961 में

स्विटजरलैण्ड में हुई। यह संगठन पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी सभी समस्यों से जुड़ा हुआ है। इसने विश्व व्यापार संगठन में पर्यावरण सम्बन्धी झगड़ों पर गैर सरकारी संगठनों का अच्छे ढंग से नेतृत्व प्रदान किया। 1971 में स्थापित फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ ने परमाणु उर्जा तथा व्हेल के शिकार जैसे मुद्दों पर व्यापक अभियान चलाया। ग्रीन पीस जलवायु संगठन परिवर्तन, वन, महासागर, परमाणु खतरे, विषैले रसायन, सतत व्यापार आदि विषयों पर सफल अभियान चलाये हैं। प्राकृतिक संसाधनों तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अर्थवाच संस्थान वैज्ञानिकों, शिक्षकों तथा आम लोगों के बीच सहयोग स्थापित करने में प्रयत्नशील है। भारत में दशौली ग्राम, स्वराज संघ द्वारा चिपको आंदोलन, टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति द्वारा टिहरी बचाओं आन्दोलन, नर्मदा बचाओं आन्दोलन द्वारा सरदार सरोवर परियोजना विरोधी आन्दोलन, केरल साहित्य परिषद द्वारा साइलेट घाटी बचाओं आन्दोलन तरुण भारत संघ द्वारा जलसंरक्षण आन्दोलन नागरिक समाज द्वारा विकास को पर्यावरण संरक्षण आधारित बनाने की सफल मुहिम का उदाहरण है।

सतत विकास के समक्ष चुनौतियाँ—

सतत विकास के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बिना विकास की रफ्तार को रोके पर्यावरण संरक्षण तथा संसाधनों का प्रबन्ध करना है यह पर्यावरण संरक्षण को आर्थिक विकास का मुख्यांग मानता है। आज आवश्यकता है समाज में व्याप्त बेरोजगारी और प्रवास की समस्या के समाधान की। स्थाई एवं सतत विकास प्राकृतिक तथा पारिस्थितिकीय तंत्र को एक साथ लेकर चलने की चिंता है यह वर्तमान परिस्थितियों एवं सामाजिक चुनौतियों को भी दृष्टिगत रखता है। अतः विकास की अवधारणा में वातावरण मानव एवं प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग किये जाने की आवश्यकता है।

सतत विकास विकास की ऐसी अवधारणा है जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य, सामाजिक रूप से स्वीकार्य है और पर्यावरण की दृष्टि से संतुलित हो। समय के अनुसार लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करना सामाजिक समानता एवं पर्यावरण सुरक्षा पारस्परिक रूप से एक दूसरे से सम्बन्धित है। अतः सतत विकास के लिए स्थानीय संसाधनों का विकास रोजगार के अवसरों में वृद्धि, गरीबी में कमी, सामाजिक सामानता और पर्यावरण सुरक्षा अपेक्षित है। सतत विकास को प्राप्त करने

के लिए निर्णय निर्माण में व्यापक जन भागीदारी और सामाजिक उत्तरदायित्व मूलभूत आधार है। जैसा की गौंधी जी ने कहा है कि "प्रकृति में सभी की आवश्यकतों की पूर्ति करने की क्षमता है लेकिन किसी एक के भी लालच की नहीं।" स्पष्ट है कि प्राकृति साधनों के संरक्षण और उपयोग में कहीं विवाद नहीं है अन्तर केवल संदर्भ

- पर्यावरण मीमांसा (2008) – वनकाम सुनील, प्रकाशक राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा।
- पर्यावरण शिक्षा के नया आयाम (2008) – बरौलिया डॉ०, पाराशर राधिका, दुबे श्री कृष्ण, प्रकाशक राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा।
- मानव और पर्यावरण (2009) – गोयल एम० के० डॉ०, प्रकाशक श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- पर्यावरण शिक्षा (2009) – गोयल एम० के० डॉ०, प्रकाशक श्री विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
- पर्यावरण समस्याएँ (2009) – गोयल एम० के० डॉ०, प्रकाशक आर० एस० ए० इन्टरनेशनल, आगरा।
- पर्यावरण शिक्षा (2011) – कलिराम डॉ०, प्रकाशक आर लाल बुक डिपो, मेरठ।
- पर्यावरण शिक्षा (2011) – शर्मा आर० ए० डॉ० प्रकाशक आर लाल बुक डिपो, मेरठ।

इतना है कि हम प्रकृति से उतना ही ले, जितना आवश्यक है। उनका दोहन करे शोषण नहीं। आज विश्व के समक्ष बढ़ती जनसंख्या अति उपभोग वादी जीवन शैली आदि इस प्रकार की चुनौतियां हैं कि इन्हें कम करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्ण एवं आवश्यकतानुसार न्यून उपयोग ही हमारी कार्य शैली होनी चाहिए।